Kind attention: Cdr. S. Bhattacharjee

एन.टी.पी.सी. लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt. India Enterprise)

सिपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
Sipat Super Thermal Power Project

Ref.No.NTPC-Sipat/HR/SP/School/ Dt.26.07.06

To

The Secretary,
Central Board of Secondary Education,
New Delhi

Dear Sir,

Introducing ourselves as the premier Power utility of the country under the ministry of energy, Govt. of India this is to submit for your kind information that we are constructing a Super Thermal Power Project at Sipat, Bilaspur(Chhattisgarh). In its ultimate stage, the power station would have an employee strength of 1212, a CISF strength of 300, a sizeable number of associates besides the local population of the neighborhood villages.

In line with our welfare policy envisaging provision of schools in our township, we have started a Bal Bharati Public School in association with the Child Education Society, New Delhi on 03.07.06 having classes from LKG to Class VII to cater to the educational needs of the children of our employees and other stakeholders.

With a view to getting our school registered with CBSE, we are making this on line application enclosing the following documents in fulfillment thereof.

1. Copy of Registration letter of the Trust/Society Management Committee.
2. Land Certificate from concerned authority(as per enclosed proforma)(Extent of land of the school complex measures 11 acres).
3. Affidavit of Non-proprietary Character of Society.

Requesting an early action in the matter and thanking you in anticipation.

Thanking you,

Yours sincerely,

(S.Panda)
Sr.Manager(HR)

Shatabdi Nigam
Principal
Bal Bharati Public School
NTPC Sipat, Bilaspur (C.G.)

Chairman/Secretary
For Authorised Signatory
BBPS Caution Money Account

छत्तीसगढ शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक /एफ -4 - 120/सात -1/2004/राजस्व रायपुर, दिनांक 3/1/2005

प्रति,

कलेक्टर
जिला-बिलासपुर
(छ.ग.)

विषय : *नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन सीपत को टाउनशिप निर्माण हेतु ग्राम सीपत स्थित शासकीय भूमि के आवंटन बाबत*

संदर्भ : *आपका पत्र क्रमांक 2375/भू-बंटन/2004 दिनांक 16.04.04 एवं पत्र क्रमांक 7626/भू-बंटन/2004 दिनांक 6.11.04*

राज्य शासन एतद् द्वारा नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन सीपत को टाउनशिप निर्माण हेतु ग्राम सीपत की पटवारी हल्का नं. 28 तहसील मस्तूरी जिला -बिलासपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 954 में से रकबा 9.40 एकड , कुल योग 9.40 एकड़ भूमि वर्ष 2004-2005 की गाईड लाईन अनुसार प्रब्याजी राशि रुपये 20,92,200.00 (बीस लाख बयानवे हजार दोसौ रुपये मात्र) एवं वार्षिक भू-भाटक 1,56,915.00 (एक लाख छप्पन हजार नौसौ पंद्रह रुपये मात्र) लेकर राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग -1 खण्ड-07 के अनुसार स्थायी पट्टे पर आवंटन की स्वीकृति सामान्य शर्तों के साथ-साथ निम्न विशेष शर्तों पर प्रदान करता है :-

1. यह कि यदि दी गई भूमि उस विशिष्ट प्रयोजना या प्रयोजनों को छोड़ जिसके/ जिनके लिये दी गई हो, किसी अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाये तो शासन उसे वापस ले लेगा।

2. यह कि यदि दी गई भूमि किसी भी समय राज्य शासन द्वारा वापस ले ली जाये तो उसके मुआवजे की रकम भूमि प्राप्त करने के लिये शासन को भुगतान की गई (यदि कोई हो) और साथ ही भूमि ग्रहिता द्वारा भूमि की लागत या उनके वर्तमान मूल्य जो भी कम हो से अधिक नही होगी।

3. यह कि भूमि ग्रहिता की ओर से शर्तों के भंग किये जाने के परिणाम स्वरुप शासन द्वारा भूमि वापस ले ली जाये तो शासन निम्नलिखित दो बातों में से कोई भी कर सकता है :-

900

(क) भूमि पर निर्मित की गई किन्हीं इमारतों को उनकी लागत अथवा वर्तमान मूल्य जो भी कम हो का भुगतान कर अपने अधिकार में लेना अथवा ,

(ख) भूमि ग्रहिता से यह कहना की वह इमारतों को हटा दे और शासन द्वारा नियत उचित अवधि में उसकी मूल स्थिति में ला दे यदि भूमि ग्रहिता इस आदेश का पालन नही करेगी तो इमारत अथवा इमारतें शासन के कब्जे में चली जायेगी ।

(2) आदेश जारी होने की तिथि से आवेदक/संस्था से प्रत्याजि की संपूर्ण राशि तथा वार्षिक भू - भाटक की राशि 6 माह के अन्दर जमा करावें यदि वे निर्धारित अवधि तक प्रत्याजि व भू - भाटक राशि जमा नही करते हैं तो आवंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

संलग्न :- मूलत : रा. प. क. - /अ - 19 (3) / 2002 - 2003 ग्राम सीपत ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/-
(पी. एस. तिवारी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक / फ - 4 - 120 / सात - 1/ 2004 / राजस्व रायपुर, दिनांक 31 DEC 2004

प्रतिलिपि :-

(1) निज सचिव माननीय मंत्री जी राजस्व
(2) महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी. सीपत, जिला बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

31/12
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
31/12

* The plots highlighted is the land on which the school complex has been developed

कार्यालय कलेक्टर, बिलासपुर (म०प्र०)

(जिला योजना समिति)

-आदेश-

रा०प्र०क्र०/11-अ-19/99-2000

क्रमांक/ 481 /जि.यो.स./भू-बंटन/2000 बिलासपुर, दिनांक: 30 मार्च, 2000

जिला योजना समिति के निर्णय दिनांक 18.3.2000 के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.) सीपत-बिलासपुर को ग्राम सीपत तहसील मस्तुरी स्थित भूमि खसरा नं. 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814/1 814/2, 815/1, 815/2, 816, 817/1, 817/2, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 831, 832, 841, 842, 843/1, 844, 849, 853, 860, 861, 862/1, 862/2, 864/1ख, 949/2, 951/2, 952/2, 953/2, 957/2, 862/3, 863/1, 863/3, 864/1क, 964/1ग, 873, 880, 882/1, 885/1, 891, 893, 894, 928/1क, 928/1ख, 928/1ग, 928/4, 928/7, 939, 949/1, 950, 951/1, 951/3, 952/1, 952/3, 953/1, 953/3, 954 में से, 955, 956, 957/1, 957/3-(प.नं.3), 559/1 में से 973/1 में से, 978/1क, में से, 981/2, 981/7, 984 में से, 982/1ख, 982/1ग, 982/1घ, 991, 992/1, 993, 994/1, 994/3, 995/1, 997/1, 998/1क, 998/1ख, 1158/1, 1221/1 कुल खसरा नं. 92 रकबा क्रमशः 2.60, 0.48, 0.51, 0.80, 0.57, 0.87, 0.20, 0.31, 0.27, 0.08, 0.41, 0.83, 0.11, 0.52, 0.69, 0.55, 0.56, 0.49, 1.27, 0.57, 0.79, 0.74, 1.20, 1.13, 0.83, 0.75, 0.25, 36.15, 2.00, 1.45, 2.71, 22 47, 1.80, 25.34, 20.54, 6.00, 35.45, 8.99, 23.42, 5.49, 0.42, 0 10 2.80, 16.88, 0.17, 0.58, 2.86, 101.22, 0.20, 0.17, 0.20, 0.50 2.35, 0.70, 29.74, 17.63, 4.30, 22.52, 4.80, 11.87, 7.50, 32.03 15.69, 1.20, 114.25, 4.50, 2.54, 6.00, 9.83, 1.00, 11.05, 0.24 0.10, 3.02, 1.19, 3.76, 2.05, 1.00, 1.77, 5.20, 8.30, 0.17, 3.49, 11.94 कुल रकबा 678.02 एकड़ भूमि का आबंटन म०प्र० राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ-6-52/सात/नजूल/99 दिनांक 30-3-99 के

अनुसार प्रब्याजि रूपये 4,55,80,573=00 [रूपये चार करोड़ पचपन लाख अस्सी हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र] एवं 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भू-भाटक रूपये 34,18,543=00 [रूपये चौंतीस लाख अठारह हजार पांच सौ तिरालिस मात्र] लेकर निम्न विशेष शर्तों के साथ इन शर्तों पर विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु आबंटित की जाती है कि संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जिन शर्तों के अधीन अपनी अनापत्ति दी है, उनका पालन करना होगा तथा प्रश्नाधीन भूमि पर खड़े पेड़ पौधे अथवा अन्य संपत्ति निर्मित हो तो उसका मूल्यांकन कर पृथक से वसूल किया जावे। आवेदित भूमि में से ख0नं0 954 में से 9.40 एकड़ भूमि को उत्खनन कार्य हेतु माईनिंग लीज पर दी गई है, अतः इसे आबंटित नहीं किया गया है।

[1] भूमि उपयोग अन्य उपयोग के लिए नहीं होगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी या भूमि का पूर्ण बाजार मूल्य देय पेनाल्टी आदि के साथ लिया जावेगा।

[2] भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही किराये पर दिया जावेगा न ही विक्रय किया जावेगा या किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य उपयोग के लिए दिया/उपलब्ध कराया जावेगा।

[3] यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और आबंटिति को उसका मुआवजा देय नहीं होगा।

[4] भूमि के किसी भी उपयोग या इस पर किसी भी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां/ अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित स्थानीय संस्थाओं, नगर निगम, नगर तथा ग्राम निवेश आदि से लेनी होगी तथा मास्टर प्लान व पर्यावरण संरक्षण अधि0 आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा।

[5] वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमति में दी गई शर्तों तथा दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

[6] आवेदित भूमि जिसका उपयोग नहर, नाली, तालाब अथवा अन्य किसी रूप में सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है, की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इन्हें आबंटित नहीं माना जावेगा।

§7§ शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

§8§ आदेश जारी होने की तिथि से आवेदक द्वारा प्रब्याजि व भू-भाटक 6 माह के भीतर शासकीय कोष में जमा कराया जावे। निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा न होने की स्थिति में तथा उक्त उपरोक्त सभी शर्तों का पालन न किए जाने पर आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

कलेक्टर,
बिलासपुर §म0प्र0§

पृ0क्र0/५२५ /जि.यो.स./भू-बंटन/2000 बिलासपुर, दिनांक: 30मार्च,2000

प्रतिलिपि:-

1- अनुविभागीय अधिकारी§रा.§ बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

2- सिनियर मैनेजर कंस्ट्रक्शन, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड§एन.टी.पी.सी सीपत-बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

3- जिला योजना अधिकारी, §जिला सरकार प्रकोष्ठ§ बिलासपुर को जिला योजना समिति के निर्णय दिनांक 18.3.2000 के संदर्भ में सूचनार्थ।

कलेक्टर,
बिलासपुर§म0 प्र0§

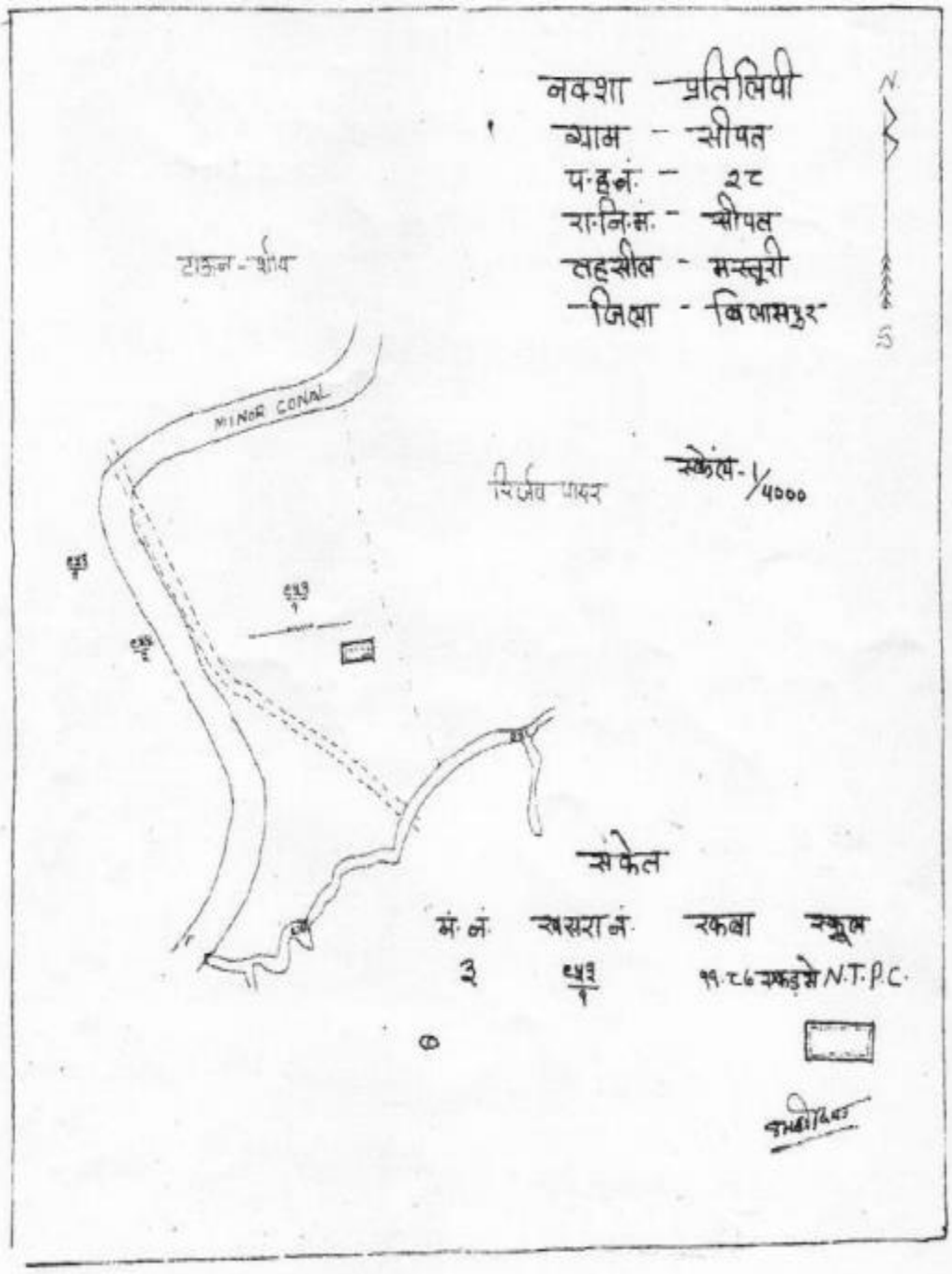

नकशा - प्रतिलिपी
ग्राम - सीपत
प.ह.नं. - २८
रा.नि.मं. - सीपत
तहसील - मस्तुरी
जिला - बिलासपुर
N.
S
MINOR CONAL
स्केल - 1/4000
संकेत
मं.नं. खसरा नं. रकबा स्कूल
3
11.86 एकड़ में N.T.P.C.